खादी एवं ग्रामोद्योग

कार्यालयाध्यक्ष का नाम	–	राजीव भट्ट
पद नाम	–	विकास अधिकारी/प्र0 जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
टेलीफोन न0	–	01334239346, 9412029743
कार्यालय कक्ष सं0 व तल	–	37,38 प्रथम तल
ईमेल आइडी	–	**ukvib.hdr@gmail.com**

प्रदेश में ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार के नये –नये अवसर उपलब्ध कराना खादी एवं ग्रामोद्योग की प्राथमिकता रही है। इसी को मध्यनजर रखते हुए राज्य में राज्य सरकार/भारत सरकार के द्वारा संचालित क्रमशः इन योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना :– व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमियों को अपने उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किया जाता है । जिसमें बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज दर में 4 प्रतिशत ब्याज दर से ब्याज धनराशि का भुगतान उद्यमी द्वारा किया जायेगा और शेष ब्याज दर का भुगतान अधिकतम 10 प्रतिशत तक उद्यमी के पक्ष में सीधे बैंक को उसकी मांग के अनुसार भुगतान किये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार उद्यमी को बैंक से ऋण पर ब्याज का लाभ प्राप्त होगा। योजनान्तर्गत अधिकतम 5.00 लाख तक के प्रोजेक्ट योजनाओं पर ही इस योजना का लाभ 5 वर्ष तक दिया जाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) :– पीएमईजीपी योजनान्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग की योजना के अर्न्तगत सभी क्षेत्रों में नई ग्रामोद्योग परियाजनाओं में उत्पादन/सेवा क्षेत्र के उद्योग स्थापित किये जा सकेंगें। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। उत्पादन क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के उद्योग हेतु क्रमशः 25.00 लाख तक व 10.00 तक की ऋण सीमा धनराशि सहायता का प्राविधान है। योजना के अर्न्तगत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों का 25 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक/ महिला/भूतपूर्व सैनिक आदि को 35 प्रतिशत वित्तीय सहायता /सब्सिडी का प्राविधान है।